रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2015/माघ 28, 1936
No. 100] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2015/MAGHA 28, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 107(अ).—ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33 के साथ पठित धारा 12 द्वारा यथापेक्षित कतिपय नियम भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 310(अ) तारीख 5 मई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को 12 मई, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियम के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33 के साथ पठित धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओषधि और प्रसाधन सामग्री (प्रथम संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची ट में, क्रम संख्यांक 35 के सामने, शीर्षक "छूट का विस्तार और शर्तें" के अधीन "फार्म 20 ग में" शब्द, अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. एक्स. 11014/9/2013-डीएफक्यूसी]

कुन्दन लाल शर्मा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक एफ 28-10/45-एच(1), तारीख 21 दिसंबर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 908(अ) तारीख 22 दिसम्बर, 2014 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2015

G.S.R. 107 (E).—Whereas certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, was published *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, Department of Health and Family Welfare *vide* number G.S.R. 310(E), dated the 5th May, 2014, as required by section 12 read with section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette of the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the Gazette were made available to the public on the 12th May, 2014;

And, whereas, objections and suggestions received from the public on the said rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 12 read with section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely:—

1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (First Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in Schedule K, against serial number 35, under the heading "Extent and Conditions of Exemptions," the words, figures and letter "in Form 20C" shall be omitted:-

[F. No. X.11014/9/2013-DFQC]

K. L. SHARMA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification No. F. 28-10/45-H (1), dated the 21st December, 1945 and last amended *vide* notification number G.S.R. 908(E), dated the 22nd December, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.